उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
संख्या-1/2025/बी-4-469/दस-2025
लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषयः राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि/जमा हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर का निर्धारण।

लेखाशीर्ष "8336.सिविल जमा-103.राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा" तथा लेखाशीर्ष "8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि" हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 3.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज का आगणन वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-1/2025/बी-4-469(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिवए वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।